### [TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART II, SECTION 3, SUB-SECTION (i)]

### GOVERNMENT OF INDIA MINISTRY OF FINANCE DEPARTMENT OF REVENUE [CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES]

### NOTIFICATION

New Delhi, dated the 21st April, 2017

### INCOME-TAX

G.S.R.\_\_\_(E).- In exercise of the powers conferred by section 295 read with section 115TD of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely: -

1. (1) These rules may be called the Income-tax (8<sup>th</sup> Amendment), Rules, 2017.

(2) They shall be deemed to have come into force from the 1<sup>st</sup> day of June, 2016.

2. In the Income-tax Rules, 1962, after rule 17CA, the following rule shall be inserted, namely: -

"17CB. Method of valuation for the purposes of sub-section (2) of section 115TD. (1) For the purpose of sub-section (2) of section 115TD of the Act, the aggregate fair market value of the total assets of the trust or institution, shall be the aggregate of the fair market value of all the assets in the balance sheet as reduced by-

- (i) any amount of income-tax paid as deduction or collection at source or as advance tax payment as reduced by the amount of income-tax claimed as refund under the Act, and
- (ii) any amount shown as asset including the unamortised amount of deferred expenditure which does not represent the value of any asset.

(2) For the purpose of sub-rule (1), the fair market value of the asset shall be determined in the following manner, namely:—

(1) Valuation of shares and securities,---

1.\*

- (a) the fair market value of quoted share and securities shall be the following:----
  - (i) the average of the lowest and highest price of such shares and securities quoted on a recognised stock exchange as on the specified date; or

(ii) where on the specified date, there is no trading in such shares and securities on a recognised stock exchange, the average of the lowest and highest price of such shares and securities on a recognised stock exchange on a date immediately preceding the specified date when such shares and securities were traded on a recognised stock exchange, (b) the fair market value of unquoted equity shares shall be the value, on the specified date as determined in accordance with the following formula, namely:—

Fair market value of unquoted equity shares =  $(A+B-L) \times (PV)$ . (PE)

where,

 $A^{-} = book$  value of all the assets in the balance sheet (other than bullion, jewellery, precious stone, artistic work, shares, securities, and immovable property) as reduced by-

 (i) any amount of income-tax paid as deduction or collection at source or as advance tax payment as reduced by the amount of income-tax claimed as refund under the Act; and 1

(ii) any amount shown in the balance sheet as asset including the unamortised amount of deferred expenditure which does not represent the value of any asset;

B = fair market value of bullion, jewellery, precious stone, artistic work, shares, securities and immovable property as determined in the manner provided in this rule;

L = book value of liabilities shown in the balance sheet, but not including the following amounts, namely:—

- (i) the paid-up capital in respect of equity shares;
- (ii) the amount set apart for payment of dividends on preference shares and equity shares;
- (iii) reserves and surplus, by whatever name called, even if the resulting figure is negative, other than those set apart towards depreciation;
- (iv) any amount representing provision for taxation, other than amount of income-tax paid as deduction or collection at source or as advance tax payment as reduced by the amount of income-tax claimed as refund under the Act, to the extent of the excess over the tax payable with reference to the book profits in accordance with the law applicable thereto;
- (v) any amount representing provisions made for meeting liabilities, other than ascertained liabilities;
- (vi) any amount representing contingent liabilities other than arrears of dividends payable in respect of cumulative preference shares;

PE = total amount of paid up equity share capital as shown in the balance-sheet:

PV = the paid up value of such equity share,

- (c) The fair market value of shares and securities other than equity shares shall be estimated to be price it would fetch if sold in the open market on the specified date on the basis of the valuation report from a merchant banker or an accountant in respect of such valuation.
- (II) The fair market value of an immovable property shall be higher of the following:-
  - (a) price that the property shall ordinarily fetch if sold in the open market on the specified date on the basis of the valuation report from a registered valuer; and
  - (b) stamp duty value as on the specified date.
  - . (III) The fair market value of a business undertaking, held by a trust or institution, shall be its net assets determined in accordance with the following formula:-

Fair market value = (A + B-L), which shall be determined in the manner provided in sub-clause (b) of clause (l) of sub-rule (2).

(IV) The fair market value of any asset, other than those referred to in clauses (I),
(II) and (III), shall be the price that the asset shall ardinarily fetch if sold in the open market on the specified date on the basis of valuation report from a registered valuer:

Provided that in case no valuer is registered for valuation of such assets, the valuation report shall be obtained from a valuer who is a member of any one of the professional valuer bodies viz. Institution of Valuers, Institution of Surveyors (Valuation Branch), Institution of Government Approved Valuers, Practicing Valuers Association of India, the Indian Institution of Valuers, Centre for Valuation Studies, Research and Training, Royal institute of Chartered

Surveyors: India Chapfer, American Society of Appraisers, USA; Appraisal institute, USA or a valuer who is appointed by any public sector bank or public sector undertakings for valuation purposes.

(3) For the purpose of sub-section (2) of section 115 TD of the Act, the total liability of the trust or institution shall be the book value of liabilities in the balance sheet on the specified date but not including the following amounts, namely:—

- (i) capital fund or accumulated funds or corpus, by whatever name called;
- (ii) reserves or surpluses or excess of income over expenditure, by whatever name called;
- (iii) any amount representing contingent liability;
- (iv) any amount representing provisions made for meeting liabilities, other than ascertained liabilities;
- (v) any amount representing provision for taxation, other than amount of tax paid as deduction or collection at source or as advance tax payment as reduced by the amount of income-tax claimed as refund under the Act, to the extent of the excess over the income-tax payable with reference to the income in accordance with the law applicable thereto.

Explanation.— For the purposes of this rule,-

- (a) "accountant" shall mean a fellow of the Institute of Chartered Accountants of India within the meaning of the Chartered Accountants Act, 1949 (38 of 1949) who is not appointed by the trust or institution as an auditor;
- (b) "balance-sheet" in relation to any trust or institution, shall mean the balancesheet of such trust or institution (including the notes annexed thereto and forming part of the accounts) as drawn up on the specified date which has been audited by an accountant;
- (c) "merchant banker" shall mean a category I merchant banker registered with Securities and Exchange Board of India established under section 3 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992);
- (d) "quoted share or security" in relation to share or security means a share or security quoted on any recognised stock exchange with regularity from time to time, where the quotations of such shares or securities are based on current transaction made in the ordinary course of business;
- (e) "recognised stock exchange" shall have the same meaning as assigned to it in clause (f) of section 2 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956);
- (f) "registered valuer" means a person registered as a valuer under section 34AB of the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);
- (g) "securities" shall have the same meaning as assigned to it in clause (h) of section 2 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956);
- (h) "specified date" means the date referred to 'in Explanation to section 115TD of the Act;
- (i) "stamp duty value" means the value adopted or assessed or assessable by any authority of the Central Government or a State Government for the purpose of payment of stamp duty in respect of an immovable property;
- (j) "unquoted share and security" in relation to share or security means share or security which is not a quoted share or security."

Notification No. 32 /2017 [F. No. 370142/21/2016-TPL]

1.04.2057 (Niraj Kumar)

# Under Secretary (Tax Policy and Legislation)

Note:- The principal rules were published in the Gazette of India Extraordinary, Part III, Section 3, sub-section (i), vide notification number S.O. 969(E), dated the, 26<sup>th</sup> March, 1962 and were last amended vide notification number GSR No. 331(E) dated the 5<sup>th</sup> April, 2017.

# (भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड () में प्रकाशनार्थ।

## भारत सरकार वित्त मंत्रालय राजस्व विभाग

### [केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड]

### अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख 21 अप्रैल, 2017

#### आय-कर

ेल **सा.का.नि.** .................................(अ)--केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 115नघ के साथ पठित धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात्।:--

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (आठवां संशोधन) नियम 2017 है ।

(2) ये 1 जून, 2016 से प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे ।

2. आय-कर नियम, 1962 के नियम 17गक के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"17गख. धारा 115नघ की उपधारा (2) के प्रयोजनों के लिए मूल्यांकन की पद्धति--(1) अधिनियम की धारा 115नघ की उपधारा (2) के प्रयोजन के लिए ल्यास या संस्था की कुल आस्तियों का संकलित उचित बाजार मूल्य,--

(i) अधिनियम के अधीन प्रतिदाय के रूप में दावा की गई आय-कर की रकम को घटाकर स्रोत पर कटौती या संग्रहण के रूप में या अग्रिम कर संदाय के रूप में संदत्त आय-कर की किसी रकम को ; और

(ii) आस्ति के रूप में, जिसके अंतर्गत ऐसे आस्थगित व्यय की ऐसी अपरिशोधित रकम
भी है, जो किसी आस्ति के मूल्य का प्रतिनिधित्व नहीं करती है, दर्शित किसी रकम को,

घटाकर तुलनपत्र में की सभी आस्तियों का कुल उचित बाजार मूल्य होगा

(2) उपनियम (1) के प्रयोजन के लिए, आस्ति के उचित बाजार मूल्य का अवधारण निम्नलिखित रीति से किया जाएगा, अर्थात् :--

(I) शेयरों और प्रतिभूतियों का मूल्यांकन,--

(क) कोट किए गए शेयरों और प्रतिभूतियों का उचित बाजार मूल्य निम्नलिखित होगा :-- (i) विनिर्दिष्ट तारीख को किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में कोट किए गए ऐसे शेयरों और प्रतिभूतियों की न्यूनतम और उच्चतम कीमत का औसत ; और

(ii) जहां विनिर्दिष्ट तारीख को किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में ऐसे शेयरों और प्रतिभूतियों का व्यापार नहीं हुआ है, वहां विनिर्दिष्ट तारीख से ठीक पहले की तारीख को किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में, यदि ऐसे शेयरों और प्रतिभूतियों का किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में व्यापार किया गया था, ऐसे शेयरों और प्रतिभूतियों की न्यूनतम और उच्चतम कीमत का औसत ;

(ख) कोट नहीं किए गए साधारण शेयरों का उचित बाजार मूल्य, विनिर्दिष्ट तारीख को, निम्नलिखित सूत्र के अनुसार यथा अवधारित मूल्य होगा, अर्थात् :--

कोट नहीं किए गए साधारण शेयरों का उचित बाजार मूल्य =

(ए + ਫੀ - एल) x (पीवी) (पीई)

जहां,

÷

ए = तूलनपत्र में,--

- (i) अधिनियम के अधीन प्रतिदाय के रूप में दावा की गई आय-कर की रकम को घटाकर स्रोत पर कटौती या संग्रहण के रूप में या अग्रिम कर संदाय के रूप में संदत्त आय-कर की किसी रकम को ; और
- (ii) आस्ति के रूप में, जिसके अंतर्गत ऐसे आस्थगित व्यय की अपरिशोधित रकम भी है, जो किसी आस्ति के मूल्य का प्रतिनिधित्व नहीं करती है, तुलनपत्र में दर्शित किई रकम को घटाकर,

(सोना-चांदी, आभूषण, बहुमूल्य रत्न, कलाकृति, शेयर, प्रतिभूतियों और स्थावर संप्रत्ति से भिन्न) सभी आस्तियों का बही मूल्य है ;

बी = इस नियम में उपबंधित रीति से यथा अवधारित सोना-चांदी, आभूषण, बहुमूल्य रत्न, कलाकृति, शेयर, प्रतिभूति और स्थावर संपत्ति का उचित बाजार मूल्य है ;

एल = तुलनपत्र में दर्शित दायित्वों का बही मूल्य है, किंतु इसमें निम्नलिखित सम्मिलित नहीं है, अर्थात् :--

(i) साधारण शेयरों के संबंध में समादत्त पूंजी :-

(ii) अधिमानी शेयरों और साधोरण शेयरों पर लाभांश के संदाय के लिए पृथक रखी गई रकम ;

(iii) अवक्षयण के लिए पृथक् रखे गए आरक्षिती और अधिशेष से भिन्न आरक्षिती और अधिशेष, चाहे किसी भी नाम से जात हो, पारिणामिक अंक नकारात्मक होने पर भी ; (iv) अधिनियम के अधीन प्रतिदाय के रूप में दावा की गई आय-कर की रकम को घटाकर स्रोत पर कटौती या संग्रहण के रूप में या अग्रिम कर संदाय के रूप में संदत्त आय-कर की रकम से भिन्न कराधान के उपबंध का प्रतिनिधित्व करने वाली कोई रकम उस सीम तक, जो उसको लागू विधि के अनुसार, बही लाभ के प्रतिनिर्देश से संदेय कर से अधिक है ;

(v) अभिनिश्चित दायित्वों से भिन्न दायित्वों को पूरा करने के लिए किए गए उपबंधों का प्रतिनिधित्व करने वाली कोई रकम :

(vi) संचयी अधिमानी शेयरों के संबंध में संवय लाभांश के बकाया से भिन्न समाश्रित दायित्वों का प्रतिनिधित्व करने वाली कोई रकम ;

पीई = समादत्त साधारण शेयर पूंजी की कुल रकम, जिसे तुलनपत्र में दर्शित किया गया है ;

पीवी = ऐसे साधारण शेयर का समादत्त मूल्य ;

(ग) साधारण शेयरों से भिन्न शेयरों और प्रतिभूतियों का उचित बाजार मूल्य उस कीमत के लिए प्राक्कलित किया जाएगा, जिसमें ऐसी कीमत तब प्राप्त होती, यदि उसे विनिर्दिष्ट तारीख को, किसी वाणिज्यिक बैंककार या लेखाकर से प्राप्त ऐसे मूल्यांकन के संबंध में मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर खुले बाजार में बेचा गया होता ।

(11) किसी स्थावर संपत्ति का उचित बाजार मूल्य निम्नलियित से उच्चतर होगा :--

(क) ऐसी कीमत, जो संपत्ति के लिए साधारणतया वसूल की जाएगी, यदि उसे किसी रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक से प्राप्त मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर विनिर्दिष्ट तारीख को खुले बाजार में केवा जाता है ; और

(ख) विनिर्दिष्ट तारीख को स्टांप शुल्क मूल्य ;

(III) किसी न्यास या संस्था द्वारा धारित किसी कारबारी उपक्रम का उचित बाजार मूल्य, निम्नलिखित सूत्र के अनुसार अवधारित उसकी शुद्ध आस्तियां होंगी :--

उचित बाजार मूल्य = (ए + बी - एल), जिसका अवधारण उपनियम (2) के खंड (i) के उपखंड (ख) में उपबंधित रीति से किया जाएगा ।

(IV) उन आस्तियों से भिन्न, जो खंड (i), खंड (ii) और खंड (iii) में निर्दिष्ट हैं, किसी आस्ति का उचित बाजार मूल्य ऐसी कीमत होगी, जो ऐसी आस्ति के लिए साधारणतया वसूल की जाएगी, यदि उसे किसी रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक से प्राप्त मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर विनिर्दिष्ट तारीख को खुले बाजार में बेचा जाता है :

परंतु यदि ऐसी आस्तियों के मूल्यांकन के लिए कोई मूल्यांकक रजिस्ट्रीकृत नहीं है तो मूल्यांकन रिपोर्ट ऐसे मूल्यांकक से प्राप्त की जाएगी, जो वृत्तिक मूल्यांकक निकायों, अर्थात् मूल्यांकक संस्था, सर्वेक्षक संस्था (मूल्यांकन शाखा), सरकारी अनुसोदित मूल्यांकक संस्था, भारतीय व्यवसायरत मूल्यांकक संगम, भारतीय मूल्यांकक संस्था, मूल्यांकन अध्ययन और प्रशिक्षण केंद्र, रायल इंस्टीट्यूट और चार्टर सर्वेयरर, इंडिया चेप्टर, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ अप्राइजर, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, अप्राइजर इंस्टीट्यूट, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में से किसी निकाय का सदस्य हो या ऐसा कोई मूल्यांकक हो, जिसे मूल्यांकन के प्रयोजनों के लिए किसी पब्लिक सेक्टर बैंक या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों द्वारा नियुक्त किया गया हो ।

(3) अधिनियम की धारा 115नघ की उपधारा (2) के प्रयोजन के लिए किसी न्यास या संस्था का कुल दायित्व, विनिर्दिष्ट तारीख को तुलनपत्र में के दायित्वों का बही मूल्य होगा, किंतु इसके अंतर्गत निम्नलिखित रकम नहीं है, अर्थात् :--

(i) पूंजी निधि या संचित निधि या समग्र निधि, चाहे जिस भी नाम से जात हो ;

(ii) व्यय से अधिक आरक्षित या अधिशेष या आधिक्य आय, चाहे जिस भी नाम से जात हो ;

(iii) समाश्रित दायित्व का प्रतिनिधित्व करने वाली कोई रकम ;

(iv) अभिनिश्चित दायित्वों से भिन्न दायित्वों को पूरा करने के लिए किए गए उपबंधों का प्रतिनिधित्व करने वाली कोई रकम ;

(v) अधिनियम के अधीन प्रतिदाय के रूप में दावा की गई आय-कर की रकम को घटाकर स्रोत पर कटौती या संग्रहण के रूप में या अग्रिम कर संदाय के रूप में सदत्त आय-कर की रकम से भिन्न कराधान के उपबंध का प्रतिनिधित्व करने वाली कोई रकम उस सीमा तक, जो उसको लागू विधि के अनुसार, आय के प्रतिनिर्देश से संदेय आय-कर से अधिक है ;

स्पष्टीकरण--इस नियम के प्रयोजनों के लिए,--

(क) "लेखाकार" से चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 (1949 का 38) के अर्थान्तर्गत भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान का कोई ऐसा अध्येता अभिप्रेत है, जिसे न्यास या संस्था द्वारा संपरीक्षक के रूप में नियुक्त नहीं किया गया है ;

(ख) किसी न्यास या संस्था के संबंध में "तुलनपत्र" से ऐसे न्यास या संस्था का ऐसा तुलनपत्र अभिप्रेत है (जिसके अंतर्गत उससे उपाबद्ध टिप्पण और लेखाओं का भागरूप भी है, जो विनिर्दिष्ट तारीख को बनाया गया था, जिनकी लेखाकार द्वारा संपरीक्षा की गई है ;

(ग) "वाणिज्यिक बैंककार" से भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 3 के अधीन स्थापित भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा रजिस्ट्रीकृत प्रवर्ग का कोई वाणिज्यिक बैंककार अभिप्रेत है ;

(घ) शेयर या प्रतिभूति के संबंध में "कोट किए गए शेयर या प्रतिभूति" से ऐसा कोई शेयर या प्रतिभूति अभिप्रेत है, जिसे समय-समय पर नियमित रूप से किसी मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज में कोट किया गया है, जहां ऐसे शेयरों या प्रतिभूतियों के कोटेशन कारबार के सामान्य अन्क्रम में किए गए चालू संव्यवहार पर आधारित है ;

(ङ) "मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज" का वही अर्थ होगा, जो प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) की धारा 2 के खंड (च) में उसका है ;

4

(च) "रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक" से धन कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) की धारा 34कख के अधीन मूल्यांकक के रूप में रजिस्ट्रीकृत कोई व्यक्ति अभिप्रेत है :

(छ) "प्रतिभूतियों" का वही अर्थ होगा, जो प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) की धारा 2 के खंड (ज) में उसका है ;

(ज) "विनिर्दिष्ट तारीख" से अधिनियम की धारा 115मध के स्पष्टीकरण में निर्दिष्ट तारीख अभिप्रेत है ;

(ज) "स्टांप शुल्क मूल्य" से किसी स्थावर संपत्ति के संबंध में स्टांप शुल्क के संदाय के प्रयोजन के लिए केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के किसी प्राधिकारी द्वारा अंगीकृत या निर्धारित या निर्धारणीय मूल्य अभिप्रेत है ;

(झ) शेयर या प्रतिभूति के संबंध में "कोट नहीं किए गए शेयर और प्रतिभूति" से ऐसे शेयर या प्रतिभूति अभिप्रेत है, जो कोट किए गए शेयर या प्रतिभूति नहीं है ।"।

hor gow अन्धदः २न्ग्) (मीरज कुमार) अवर समिव (कर नीति और विधायन)

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असुधारण, भाग 3, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना संख्यांक का.आ. 969(अ), तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना संख्यांक **सा.का.नि**. 331(अ), तारीख 5 अप्रैल, 2017 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया था ।